

## न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 115 / 2019

पुरुषोत्तम पुत्र चरनसिंह निवासी सिरसोंदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

### बनाम

तहसीलदार रूपवास ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### आदेश

दिनांक 15.11.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त श्री पुरुषोत्तम पुत्र चरनसिंह निवासी सिरसोंदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 22.08.2019 के द्वारा तहसीलदार रूपवास से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार रूपवास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /929 दिनांक 21.10.19 से तहसीलदार रूपवास से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रूपवास से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं तहसीलदार रूपवास ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्त ने तहसीलदार रूपवास से उक्त सूचनाएं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार रूपवास से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है।

.....2

(2)

पुरुषोत्तम बनाम तहसीलदार रूपवास  
अपील/आरटीआई/115/2019

तहसीलदार रूपवास से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार रूपवास को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदुपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रूपवास को प्रेषित की जावे एवं अपीलांत को भी भेजी जावे।

(डॉ. जोगा राम)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर